

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर



संशोधन आदेश



विभाग द्वारा जारी निम्नांकित अधिकारियों के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त (अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर) संबंधित समेकित आदेश में, निम्नानुसार कॉलम संख्या-6 में उल्लिखितानुसार आंशिक संशोधन एतद् द्वारा किया जाता है:-

क.सं	विभाग का पूर्व में जारी आदेश क्रमांक व दिनांक	नाम अधिकारी मय धारित पद व पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक (DD/MM/YY)	सेवानिवृत्ति दिनांक (DD/MM/YY)	अपेक्षित आंशिक संशोधन
I	II	III	IV	V	VI
1	शिविरा-माध्य / संस्था / बी-2 / 45002 / सेवानिवृत्तियां / प्रधानाचार्य / 2021-22 / 70-91 दिनांक 21 जनवरी 2021	श्रीमती शीला देवी महामना प्रधानाचार्य राउमावि करीमपुर, सैपऊ, धौलपुर।	10.01.1962	31.01.2022	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 21.01.2021 में कार्मिक का नाम शीला महामना (SHEELA MAHAMANA) के स्थान पर शीला देवी महामना (SHEELA DEVI MAHAMANA) पढ़ा जावे।
2	शिविरा-माध्य / संस्था / बी-2 / 45002 / सेवानिवृत्तियां / प्रधानाचार्य / 2021-22 / 70-91 दिनांक 21 जनवरी 2021	हरिओम कुमार मिश्र पूर्व प्रधानाचार्य राउमावि चांदर मण्डरोप बाडमेर(हाल प्रधानाचार्य (जि.शि.अ. समकक्ष) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाईट, गोनर, जयपुर।	31.12.1961	31.12.2021	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 21.01.2021 में कार्मिक का नाम हरिओम मिश्रा (HARIOM MISHRA) के स्थान पर हरिओम कुमार मिश्रा (HARIOM KUMAR MISHRA) पढ़ा जावे।
3	शिविरा-माध्य / संस्था / बी-2 / 45002 / सेवानिवृत्तियां / प्रधानाचार्य / 2021-22 / 70-91 दिनांक 21 जनवरी 2021	प्रहलाद स्वरूप मीना प्रधानाचार्य राउमावि माहर खोहरा, दौसा।	01.01.1962	31.12.2021	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 21.01.2021 में कार्मिक का नाम प्रहलाद स्वरूप मीना (PRAHLAD SWAROOP MEENA) के स्थान पर प्रहलाद स्वरूप मीना (PRAHALAD SWAROOP MEENA) पढ़ा जावे।

संयुक्त निदेशक-कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य / संस्था / बी-1,2 / प्रधाना.प्र.अ. / से0नि0संशोधन / 2021-22 / 303 दिनांक 29.10.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 संबंधित अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 2 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर।
सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(संयुक्त निदेशक)कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति सहित
- 3 विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 संबंधित संस्था प्रधान / कार्मिक।
- 7 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक-कार्मिक